बैंकों की गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों से ब्याज

परिपत्र संख्या 18/2015 [एफ.सं.279/विविध/140/2015/आईटीजे], दिनांक 2-11-2015

बोर्ड के ध्यान में लाया गया है कि बैंकों के मामले में, क्षेत्रीय अधिकारियों का यह विचार है कि, "गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश से संबंधित व्यय को अधिनियम की धारा 57(i) के अंतर्गत अस्वीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों पर ब्याज अन्य स्रोतों से आय है।"

2. अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (1) के खंड (id) में प्रावधान है कि प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में प्राप्त आय "अन्य स्रोतों से आय" शीर्षक के अंतर्गत आयकर के लिए प्रभार्य होगी, यदि वह आय "व्यवसाय और पेशे से लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अंतर्गत आयकर के लिए प्रभार्य नहीं है।

3. इस मुद्दे पर न्यायिक निर्णयों के आलोक में मामले की जाँच की गई है। सीआईटी बनाम नवांशहर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड [2007] 160 Taxman 48(SC) के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बैंकिंग प्रतिष्ठान द्वारा किए गए निवेश बैंकिंग व्यवसाय का हिस्सा हैं। अतः, ऐसे निवेशों से होने वाली आय बैंकिंग व्यवसाय से संबंधित है और "व्यवसाय और पेशे के लाभ और अभिलाभ" शीर्षक के अंतर्गत आती है।

3.2 यद्यपि उपर्युक्त निर्णय अधिनियम की धारा 80पी(2)(ए)(आई) के अंतर्गत कटौती का दावा करने वाली सहकारी समितियों/बैंकों के संदर्भ में था, यह सिद्धांत उन सभी बैंकों/वाणिज्यिक बैंकों पर समान रूप से लागू होता है जिन पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है।

4. इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, यह मुद्दा सुनिश्चत है। तदनुसार, बोर्ड ने निर्णय लिया है कि विभाग के अधिकारियों द्वारा अब से इस आधार पर कोई अपील दायर नहीं की जाएगी और न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के समक्ष इस आधार पर पहले से दायर अपीलें, यदि कोई हों, वापस ली जा सकती हैं/उन पर दबाव नहीं डाला जा सकता है। यह बात सभी संबंधितों के ध्यान में लाई जाए।